

समाचार

आयुक्त ने किया नगर के साफ-सफाई कार्यों का निरीक्षण (सफाई कार्यों में और अधिक बेहतरी लाने के संबंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश)

कोरबा 06 नवम्बर 2015 –आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने आज कोरबा नगर के विभिन्न मोहल्लों, बस्तियों, मुख्य व संपर्क मार्गों तथा सार्वजनिक स्थलों का दौरा कर साफ-सफाई कार्यों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई कार्यों में और अधिक बेहतरी लाने, कचरे का नियमित उठाव व परिवहन करने तथा कार्यों की नियमित मानीट्रिंग करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिये।

आयुक्त श्री अग्रवाल ने आज प्रातः 7 बजे से निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. संजय तिवारी के साथ नगर के विभिन्न स्थलों का दौरा कर साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्टेडियम रोड, स्टेडियम परिसर, स्वीमिंग पुल, शक्तिस्थल, टी.पी.नगर क्षेत्र, नया बस स्टैण्ड, पावर हाउस रोड, पुराना बस स्टैण्ड, दर्री रोड, गीतांजलि भवन, पुरानी बस्ती कोरबा, रानी रोड, रामसागरपारा, मुड़ापार, बुधवारी बस्ती, गुरु घासीदास चौक, महाराणा प्रताप चौक, जैन मंदिर चौक, मिशन रोड कोरबा, दुरपा रोड सहित अन्य विभिन्न स्थलों एवं बस्तियों में पहुंचकर बस्तियों का पैदल भ्रमण किया एवं साफ-सफाई कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त श्री अग्रवाल ने स्टेडियम में अव्यवस्थित रूप से उगी घास की कटाई करने एवं मैदान को व्यवस्थित करने, स्वीमिंग पुल बिल्डिंग परिसर एवं वहां पर स्थित बाथरूम तथा प्रसाधन कक्षों की नियमित सफाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने विभिन्न बस्तियों में भ्रमण के दौरान नालियों के किनारे उगी झाड़ियों एवं घास आदि की सफाई करने, विभिन्न स्थानों पर रखे गये सफाई कन्टेनरों को उठाए जाने के संबंध में रोस्टर तैयार करने, नियमित रूप से कचरे का उठाव व परिवहन कर उम्पिंग यार्ड तक ले जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिये। मिशन रोड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने स्थित नाली का मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में भी आयुक्त श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया।

शक्तिस्थल परिसर में गार्डनिंग के निर्देश – आयुक्त श्री अग्रवाल ने स्टेडियम के समीप स्थित शक्ति स्थल का भ्रमण किया, उन्होंने शक्ति स्थल में गार्डनिंग तथा स्थल का सौदर्यीकरण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिये। आयुक्त श्री अग्रवाल ने स्वीमिंग पुल परिसर की बेहतर साफ-सफाई तथा व्यवस्थाओं को सुधारने के संबंध में भी कड़े निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने स्टेडियम के आंतरिक मैदान तथा बाहर परिसर का भ्रमण किया, स्टेडियम में किकेट व फुटबाल खेल रहे खिलाड़ियों से चर्चा की तथा उनके साथ किकेट भी खेला। उन्होंने मैदान को व्यवस्थित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिये।

नवनिर्मित निजी शौचालयों का किया निरीक्षण – आयुक्त श्री अग्रवाल ने अपने भ्रमण के दौरान कोरबा पुरानी बस्ती, रामसागरपारा आदि में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निगम द्वारा निर्मित कराये गये निजी शौचालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राही कांता भक्ता, सुचित्रा मधु, पंचकुंवर शर्मा, ललिता लोहार, सुकलाल पटेल सहित अन्य हितग्राहियों के नवनिर्मित शौचालय का निरीक्षण किया तथा हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा कि वे शौचालय का उपयोग अनिवार्य रूप से करे तथा खुले में शौच करने न जाए।

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जप्त-भ्रमण के दौरान बस्तियों में स्थित अनेक दुकानों में पहुंचकर आयुक्त श्री अग्रवाल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल आदि को उपयोग में न लाने हेतु व्यवसायियों से आग्रह किया, इस दौरान निगम के अधिकारियों ने कुछ दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग को जप्त भी किया। आयुक्त श्री अग्रवाल ने इन व्यवसायियों को समझाईस दी कि वे प्रतिबंधित कैरी बैग का उपयोग न करें तथा नगर की सफाई व्यवस्था व आमजन के स्वरूप में प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल के उपयोग से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में सहयोग दें।

सफाई कर्मचारी अनिवार्य रूप से ड्रेस पहने-भ्रमण के दौरान आयुक्त श्री अग्रवाल ने स्वच्छता विभाग के अधिकारियों तथा सफाई ठेकेदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि सफाई कार्यों के संपादन में लगे कर्मचारी अनिवार्य रूप से निर्धारित ड्रेस पहनने से उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रशांति वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण – मां सर्वमंगला मंदिर के समीप स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम में पहुंचकर आयुक्त श्री अग्रवाल ने वृद्धाश्रम का सघन निरीक्षण किया, वहां निवास कर रहे वरिष्ठजनों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम पूछा तथा उनके स्वास्थ की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के केयरटेकर से वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी ली तथा वृद्धाश्रम की समस्याओं के निराकरण के संबंध में समुचित रूप से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।